भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1074

उत्तर देने की तारीख : 09.02.2026

केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम

1074. श्रीमती संगीता यादव :

श्री रायगा कृष्णैया :

श्री लहर सिंह सिरोया :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित या कौशल-उन्नयन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उभरती क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार संरेखित किया गया है;

(ग) क्या रोजगार परिणामों और वेतन सुधारों की निगरानी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) महिलाओं, युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को लक्षित करने वाली विशेष पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) कौशल विकास के प्रभावों को राज्य सरकारों और उद्योग संघों के साथ किस प्रकार समन्वित किया जाता है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम नामत: टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर और टीआई) तथा प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पूरे देश में वर्ष 1967 से 1999 तक टीआर और टीआई स्कीम के तहत कुल 18 टूल रूम (जिसे सामान्यत: प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में जाना जाता है) और तकनीकी संस्थानों तथा प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली कार्यक्रम के तहत 9 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) की स्थापना की गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामान्य इंजीनियरिंग, फोर्जिंग और फाउंड्री, इलैक्ट्रॉनिक्स, विद्युत मापक उपकरणों, सुगंध और सुरस, कांच, फुटवियर और खेल का सामान में उद्योगों और एमएसएमई को डिजाइन और विनिर्माण उपकरण, प्रिसीजन कॉम्पोनेंट्स, मोल्ड्स, डाईज, जिग्स और फिक्चर्स आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करते हैं।

प्रौद्योगिकी से संबंधित सहायता के अतिरिक्त ये टीसी युवाओं को उद्योग के लिए उपयुक्त जन-शक्ति तैयार करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें एमएसएमई के लिए रोबोटिक्स, ईवी, डिजिटल सेवाओं आदि जैसे उभरते क्षेत्र की आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम शामिल हैं एवं उद्योग के साथ-साथ और कारीगरों की आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा उद्योग कार्यबल को उनके कौशल में और अधिक निखार लाने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्तमान वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान, टीसी द्वारा प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षु (संख्या में)
2021-22	1,50,281
2022-23	1,89,342
2023-24	2,22,939
2024-25	3,29,349
2025-26 दिसम्बर, 2025 तक	2,77,279

कॅयर बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों और क्षेत्रीय स्तर के प्रतिष्ठानों के माध्यम से "कॅयर विकास योजना-कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना" स्कीम के तहत विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कॅयर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एनएसक्यूएफ स्तर-4), कॅयर प्रौद्योगिकी में कॅयर कारीगरों का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (एनएसक्यूएफ स्तर-3), मूल्य वर्धन उत्पादों (वीएपी) के विनिर्माण में प्रशिक्षण और स्पिनिंग में प्रशिक्षण शामिल हैं।

विगत पांच वर्षो के दौरान योजना के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1.	2020-21	7145
2.	2021-22	4755
3.	2022-23	2794
4.	2023-24	4139
5.	2024-25	2121

(ग) और (घ) : मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य कारीगरों जिनमें से अधिकतर या तो स्व-रोजगार श्रेणी के हैं या उद्योगों में कार्य करते हैं उनके कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। मंत्रालय उनके रोजगार संबंधी तैनाती और वेतन में बढ़ोतरी का डाटा नहीं रखता है।

(ङ) और (च) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में मंत्रालय महिलाओं और युवा उद्यमियों सहित कार्यबल के कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों अर्थात पीएम विश्वकर्मा, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना, अ.जा/अ.ज.जा हब, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम जैसी स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से तथा पूरे देश में स्थापित किए गए प्रौद्योगिकी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। मंत्रालय पूरे देश में स्थित विकास कार्यालयों (डीएफओ) और प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) जैसे अपने क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से राज्य सरकारों, उद्योग संघों और एमएसएमई समूहों के साथ मिलकर कौशल पहल का समन्वय करता है ताकि बहु-हितधारक, उद्योग संरेखित विशिष्ट दृष्टिकोण के माध्यम से रोजगार क्षमता को सुदृढ़ और रोजगार के परिणामों में सुधार किया जा सके।
